<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, गोण्डा।</u>
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1297/2026
<u>CNR No.-UPGD010038292026</u>

1. सूबेदार प्रजापति उर्फ अनिल कुमार प्रजापति उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र शिव कुमार
2. सियाराम प्रजापति उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र वीपतराम
3. मालिकराम मौर्य उम्र करीब 66 वर्ष पुत्र मोहन
निवासीगण ग्राम बभनीसराय, थाना खरगूपुर, जिला गोण्डा।

..... प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

सरकार उ०प्र०।

..... विपक्षी।

परिवाद संख्या–181/2023
धारा–323,427,506 भा.दं.सं.
व 3(1)द, ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना–खरगूपुर, जिला–गोण्डा।

<u>दिनांक–16.06.2026</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **सूबेदार प्रजापति उर्फ अनिल कुमार प्रजापति, सियाराम प्रजापति व मालिकराम मौर्य** की ओर से **परिवाद संख्या–181/2023 धारा–323,427,506 भा.दं.सं. व 3(1)द, ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–खरगूपुर, जिला–गोण्डा** के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण दिनांक–01.06.2026 से अन्तरिम जमानत पर हैं और आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र 156 (3)दं0प्र0सं0 के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी सरोजा देवी गरीब, मजदूरी पेशा वाली अनुसूचित जाति (पासी) की महिला है। दिनांक–09.10.2022 को समय करीब साढ़े दस बजे रात्रि विपक्षीगण दुर्गेश मौर्या, सियाराम प्रजापति, सियाराम मौर्या, मालिक राम मौर्या, राम औतार, सूबेदार प्रजापति, श्याम लाल मौर्या ने प्रार्थिनी के दरवाजे पर पहुंचे और विपक्षी दुर्गेश व सूबेदार ने कहा कि एक हफ्ता पहले तुम्हारे ससुर और हम लोगों से दीवाल गिराने का जो विवाद हुआ था दीपू दीपनारायण कह करके आवाज दिया कि दरवाजा खोलो हम लोग माफी मॉगने व सुलह समझौता करने आए हैं, प्रार्थिनी ने कहा कि मेरे पति दीप नारायण नहीं है, जाकर मेरे ससुर, जेठ, देवर से कहो। विपक्षीगण ने कहा जमीन तुम्हारे कब्जे में है। नस्ल ब नस्ल कब्जा चला आ रहा है। इसलिए दरवाजा खोलो तुम्ही अपने ससुर, जेठ व देवर को बुलाओ। प्रार्थिनी जैसे ही दरवाजा खोली वैसे ही विपक्षीगण दुर्गेश और

Digitally signed by Alok Sharma
Date: 2026.06.17 10:05:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सुबेदार प्रार्थिनी के घर में घुसकर प्रार्थिनी का दोनों हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करने लगे अन्य विपक्षीगण ने कहा कि घर में रखा सब सामान लूट लो और सरोजा देवी को बेइज्जत कर दो। इतने में सरोजा देवी जोर–जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर मौके पर ननके, श्रीराम, जगदम्बा प्रसाद, शिव नरायन और गांव के तमाम लोग के पहुंचने पर विपक्षीगण ने प्रार्थिनी को कहा कि आज सब लोगों के पहुंचने पर बेइज्जत होने से बच गई हो। यदि दीवाल नहीं उजाड़ लिया तो तुम्हें किसी न किसी दिन बेइज्जत करके जान से मार कर लाश गायब कर दूंगा। प्रार्थी ने घटना की तहरीर थाना पर दिया। रिपोर्ट न लिखने पर प्रार्थिनी ने अपनी चोटों की डॉक्टरी जिला अस्पताल में कराकर पुलिस अधीक्षक गोण्डा को प्रार्थनापत्र दिया परंतु कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थिनी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दं०प्र०सं० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

प्रार्थिनी के उक्त प्रार्थना–पत्र को न्यायालय द्वारा बतौर परिवाद दर्ज किया गया तथा परिवादिनी का बयान धारा–200 दं०प्र०सं० व साक्षियों का बयान धारा–202 दं०प्र०सं० के रूप में अंकित कर न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को उपरोक्त धाराओं में विचारण हेतु तलब किया गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण को परिवाद उपरोक्त में फर्जी तरीके से फंसाया गया है, जबकि प्रार्थीगण निर्दोष हैं। प्रार्थीगण को गांव के जमीनी रंजिश को फर्जी फौजदारी परिवाद मुकदमे में फंसा दिया गया है, जबकि प्रार्थीगण ने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण एक सम्भ्रान्त व्यक्ति हैं, इसलिये उनके सम्मान को धूमिल करने हेतु राजनैतिक द्वेषवश मुकदमा उपरोक्त में फंसा दिया गया है। प्रार्थीगण को परिवाद उपरोक्त में फर्जी फंसाते समय जो तारीख, समय दर्शाया गया है, उस स्थान पर मौजूद नहीं थे। प्रार्थीगण ने न तो कभी परिवादी मुकदमा को गाली गलौज दिया है, न ही जान से मारने की धमकी दी है, और न ही मारा–पीटा है। प्रार्थीगण को महज हैरान व परेशान करने के लिये मुकदमा उपरोक्त में फंसाया गया है। परिवादी द्वारा थाने पर प्रार्थना पत्र देने का तथ्य जाहिर किया गया है, परन्तु थाने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व परिवाद पत्र में भारी भिन्नता है, इसलिये मुकदमा झूठा है। परिवादी द्वारा डाक्टरी रिपोर्ट बिना चोट के कराई गई है, जिससे डाक्टरी रिपोर्ट एवं मामला संदिग्ध प्रतीत होता है, इसलिये प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे, तथा न ही गवाहों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र जमानत स्वीकार कर ता फैसला उचित जमानत मुचलके पर रिहा करने की कृपा करें।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपराध की गम्भीरता के आधार पर जमानत का विरोध किया गया है और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं.प्र.सं. के आधार पर न्यायालय द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण को धारा उपरोक्त में विचारण हेतु तलब किया गया है। मामला परिवाद पर आधारित है। पत्रावली पर उपलब्ध चोटहिल की आघात आख्या के अनुसार चोटहिल को आयी चोटे साधारण प्रकृति की है। सम्बन्धित थाने से अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पर हैं, उनके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है तथा स्वंय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया है। शेष अन्य बातें साक्ष्य का विषय है ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर विचार व्यक्त किये आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है, तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **सूबेदार प्रजापति उर्फ अनिल कुमार प्रजापति, सियाराम प्रजापति व मालिकराम मौर्य** की ओर से परिवाद संख्या–181/2023 धारा–323,427,506 भा.दं.सं. व 3(1)द,ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–खरगूपुर, जिला–गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1297/2026 **स्वीकार** किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा मु०–20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल किए जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

(आलोक शर्मा)
विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
गोण्डा।
JO Code-UP1751

दिनांक–16.06.2026